संख्या-26/2019/3535/18-27-सिं0-4-82(डब्ल्यू)परि0/18

प्रेषक,

उमेश चन्द्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2019**

विषय: शारदा मुख्य नहर के किमी0 38.900 से किमी0 44.600 तक क्षतिग्रस्त दायें बैंक की पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3808/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 19-12-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **शारदा मुख्य नहर के किमी0 38.900 से किमी0 44.600 तक क्षतिग्रस्त दायें बैंक की पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना** हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी0-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-4 एवं 5 के अनुसार मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण एवं संस्तुति के उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदित लागत रू0 233.69 लाख के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4700-97-051-10-1014-24 के अन्तर्गत प्राविधानित एकमुश्त धनराशि रू0 5000.00 लाख में से विषयगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 10,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

2- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा।

3- प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अभियन्ताओं का होगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा।

7- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0/डिपाजिट में नहीं रखी जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना तथा परियोजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यों पर ही किया जायेगा।

8- नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

9- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जाएगा तथा प्रश्नगत बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार परियोजना पर अवमुक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

12- सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

13- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

14- कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-97-राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाएं (वाणिज्यिक)-051-निर्माण-10-नहरें-1014-सम्बद्ध कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त (वित्त नियंत्रण) अनुभाग-8 के अ0शा0 पत्र संख्या-ई-8-320/दस-19, दिनांक 04 फरवरी, 2019 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र)
उप सचिव ।

<u>**संख्या-26/2019/3535(1)/18-27-सिं0-4 तद्दिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in